न्यायालय जिला कलेक्टर, कोटा

पीठासीन अधिकारी : ओ.पी. बुनकर I.A.S.

प्रकरण संख्या – 8/2021 (प्रार्थना पत्र)

जीसीएमएस नं0–2021/48

रामसुखी पत्नी रामनारायण जाति बैरवा निवासी ग्राम बम्बोरी तहसील दीगोद जिला कोटा (राज0)

––प्रार्थी.

बनाम

1. रामगोपाल आत्मज प्रभूलाल जाति बैरवा निवासी ग्राम कराडिया तहसील दीगोद जिला कोटा राज0
2. सक्षम प्राधिकारी (भूमि अवाप्ति) एवं उपखण्ड अधिकारी दीगोद

––अप्रार्थी.

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 64 भूमि अर्जन पुर्नवासन और पुर्नव्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013

उपस्थितः–

1. श्री ओमप्रकाश नागर, अभिभाषक प्रार्थी
2. श्री बलराम शर्मा, अभिभाषक अप्रार्थी नं0 1

निर्णय

दिनांक :– 27.07.2022

1. प्रकरण के सम्बन्ध में तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थीया द्वारा यह प्रार्थना पत्र जरिये अभिभाषक अन्तर्गत धारा 64 भूमि अर्जन पुर्नवासन और पुर्नव्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 के प्रस्तुत कर ग्राम कराडिया तहसील दीगोद स्थिति आराजी खसरा नम्बर 179 रकबा 0.17 हे0, खसरा नम्बर 180 रकबा 0.50 हे0 में से 0.39 है0 भूमि भारत माला परियोजना एन एच 148 एन में अवाप्ति में आने से सक्षम प्राधिकारी भूमि अवाप्ति एवं उपखण्ड अधिकारी दीगोद द्वारा दिनांक 8.1.2021 पारित आदेश को निरस्त कर मुआवजा राशि को रोका जाकर प्रार्थीया को मुआवजा राशि दिलवाए जाने के आदेश प्रदान करने हेतु निवेदन किया है ।
2. प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिपक्षीगण की तलबी की गई । अप्रार्थी नं0 1 की ओर से एड0 बलराम शर्मा उपस्थित । उपस्थित वकील उभय पक्ष की बहस सुनी गई ।
3. वकील प्रार्थी द्वारा अपनी बहस में प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को ही दौहराते हुए कथन किया है कि ग्राम कराडिया तहसील दीगोद स्थित आराजी भारतमाला परियोजना के अन्तर्गत अधिग्रहण की गई जिस पर भू–अवाप्ति अधिकारी द्वारा आपत्ति मांगने पर प्रार्थीया द्वारा आपत्ति प्रस्तुत कर न्यायालय उपखण्ड अधिकारी दीगोद एवं नयायालय राजस्व मण्डल में जैरकार प्रकरण की प्रतियां पेश कर अन्तिम निस्तारण कर मुआवजा प्रदान नहीं करने व न्यायालय जिला एवं सत्र न्यायाधीश कोटा में अधिकारों के निस्तारण हेतु पेफ्ररेन्स किये जाने का अनुरोध किया गया । भूमि अवाप्ति अधिकारी अवकाश पर होने व तहसीलदार दीगोद के पास कुछ समय के लिये चार्ज आ जाने पर तहसीलदार दीगोद द्वारा भूमि अवाप्ति के आशय से दिनांक 8.1.2021 को

जिला कलेक्टर
कोटा

मुआवजा राशि रिलीज किये जाने का आदेश प्रदान कर दिया । जबकि उपखण्ड अधिकारी दीगोद में उक्त विवादित भूमि के सम्बन्ध में आज भी वाद विचाराधीन है फिर भी भूमि अवाप्ति अधिकारी द्वारा भुगतान कर दिया गया है । अप्रार्थी द्वारा तथ्य छुपाकर व मिलीभगत कर मुआवजा राशि प्राप्त की है जिसे वापस अप्रार्थी से वसूल कर न्ययालय में जमा कराना न्यायहित में आवश्यक है । वकील प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र के पक्ष में फर्द के साथ उपखण्ड अधिकारी दीगोद के मिसल नं0 79/2010 की प्रति पेश कर वर्तमान में भी प्रकरण जैरकार होना बताया है ।

4. वकील अप्रार्थी नं0 1 द्वारा अपनी बहस में कथन किया है कि प्रार्थीया द्वारा सक्षम अधिकारी (भूमि अवाप्ति) एवं उपखण्ड अधिकारी दीगोद के यहां पर उक्त विवादित भूमि के मुआवजा के सम्बन्ध में आपत्ति पेश की गई थी, सक्षम प्राधिकारी द्वारा प्रार्थीया की आपत्तियों का विधिवत निस्तारण किया गया है । उक्त भूमि के भुगतान हेतु प्रार्थी खातेदार रामगोपाल पुत्र प्रभूलाल दत्तक पुत्र पन्नालाल द्वारा पत्रावली प्रस्तुत कर भुगतान का निवेदन किया जाने पर जांच करते हुए भुगतान की कार्यवाही की गई है । चूंकि उक्त खसरा नम्बरान के सम्बन्ध में पूर्व में न्यायालय उपखण्ड अधिकारी दीगोद में प्रकरण जैरकार था जो पूर्व में नोटप्रेस कर लिया तथा नामान्तकरण की अपीलों का निस्तारण हो चुका है । उक्त खसरा नम्बरान के सम्बन्ध में किसी न्यायालय द्वारा स्थगन नहीं होने से अवाप्त भूमि का मुआवजा खातेदार को स्वतः ही किया जाना विधि अनुरूप है । इसमें किसी प्रकार की कोई कानूनी त्रुटि नहीं है । वकील प्रार्थी द्वारा फर्द के साथ मि0नं0 79/2010 की जो प्रति पेश की गई है वह तो मि0नं0 79/2010 आदेश दिनांक 8.9.2011 को नोटप्रेस में खारिज हो चुकी है जिसे रेस्टोर कराने के लिए रेस्टोरेशन का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया है उसकी नकल है । उक्त रेस्टोरेशन का प्रार्थना पत्र अभी तक स्वीकार नहीं किया गया है एवं मूल वाद अभी तक रेस्टोर नहीं हुआ है । वकील प्रार्थीया द्वारा गलत एवं मिथ्या दस्तावेज पेश कर न्यायालय को गुमराह करने की कौशिश की जा रही है । प्रार्थी का प्रार्थना पत्र आधारहीन होने से खारिज फरमावें ।

5. हमने उभयपक्ष की बहस सुनी व बहस पर मनन किया, पत्रावली का भली भांति अवलोकन किया । प्रार्थी द्वारा यह प्रार्थना पत्र अन्तर्गत 64 भूमि अर्जन पुर्नवासन और पुर्नव्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 के अन्तर्गत सक्षम प्राधिकारी (भूमि अवाप्ति) एवं उपखण्ड अधिकारी दीगोद के आदेश दिनांक 8.01.2021 के विरूद्व दिनांक 11.2.2021 को अन्दर मियाद पेश किया है । प्रकरण में विवाद ग्राम कराडिया तहसील दीगोद स्थित आराजी रकबा 1.79 रकबा 0.17 हे0, खसरा नम्बर 180 रकबा 0.50 हे0 में से 0.39 हे0 भूमि भारत माला परियोजना 148 एन में अवाप्त होने पर खातेदार रामगोपाल अप्रार्थी के पक्ष में अवार्ड जारी होने पर प्रार्थीया द्वारा आपत्ति पेश की गई कि यह जमीन मेरे नाना पन्नालल जी के खाते दर्ज थी उनके एक मात्र लडकी मेरी मां छोटी बाई थी जिसका मेरे नाना के जीवनकाल में ही स्वर्गवास हो गया, जिसके बाद पन्नालाल जी ने मुझे पास रखा तथा मेरी शादी की । मेरे नाना के एक मात्र प्रथम श्रेणी की वारिस हूँ किन्तु मेरे ससुराल में होने से रामगोपाल ने नायब तहसीलदार से सांठ गांठ कर उक्त जमीन अपने नाम करवाली, जिसके सम्बन्ध में मेरे द्वारा दावा उपखण्ड अधिकारी दीगोद में चल रहा है । इसके विपरीत वकील प्रार्थी का कथन है कि पन्नालाल जी द्वारा अपने भतीजे रामगोपाल को दिनांक 25.11.1980 को गोद लिया गया था, गोदनामे के आधार पर नायब तहसीलदार द्वारा उक्त भूमि का इन्तकाल मेरे नाम स्वीकृत किया गया है जिसका दावा प्रार्थीया द्वारा एस0डी0ओ0 दीगोद में पेश किया गया था वह भी नोटप्रेस किया जाने से दिनांक 8.9.2011 को नोटप्रेस में खारिज हो चुका है । इसके अलावा अति0 जिला कलक्टर कोटा में अपील पेश की गई वह भी खारिज हो चुकी है । वकील प्रार्थी द्वारा फर्द के

जिला कलेक्टर
कोटा

साथ मि0नं0 79/2010 की आदेशिका की नकल पेश की गई है वह मि0नं0 79/2010 की नकले नहीं है जबकि उक्त प्रकरण 79/2010 तो दिनांक 8.9. 2011 को ही नोटप्रेस में खारिज हो चुका है जिसकी पुष्टि वकील प्रार्थीया द्वारा मूल प्रार्थना पत्र के साथ फर्द दस्तावेज सूची के साथ उपखण्ड अधिकारी दीगोद के रेस्टोरेशन प्रार्थना पत्र मि0नं0 2/2019 से होती है । वकील प्रार्थीया द्वारा दौराने बहस फर्द के साथ एसडीओ कोर्ट में जैरकार वाद की आदेशिका दिनांक 9.12.2020 से लगायत 21.4.2022 तक की पेश की गई है वह रेस्टोरेशन के प्रार्थना पत्र की है । सक्षम प्राधिकारी (भूमि अवाप्ति) एवं उपखण्ड अधिकारी द्वारा पारित आदेश दिनांक 8.1.2021 के वक्त किसी राजस्व न्यायालय में वाद विचाराधीन नहीं होने से खातेदार को भुगतान किया जा चुका है वकील प्रार्थीया द्वारा प्रार्थना पत्र के समर्थन में प्रस्तुत आधार पर्याप्त नहीं है । प्रार्थना पत्र अस्वीकार योग्य पाया जाता है ।

6. परिणामतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार करने के पर्याप्त आधार पत्रावली पर उपलब्ध नहीं होने से प्रार्थना पत्र अस्वीकार किया जाकर खारिज किया जाता है । अधिनस्थ न्यायालय के आदेश दिनांक **08..01.2021** में कोई हस्तक्षेप करना उचित नहीं समझते है ।
7. निर्णय आज दिनांक 27.07.2022 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय सुनाया गया ।

27/7/2022

(ओ.पी. बुनकर)
जिला कलक्टर, कोटा
जिला कलक्टर
कोटा